कार्यालय जिलाधिकारी, सुलतानपुर

संख्या : 1690/जि0आ0अधि0/सुलतानपुर/व्यवस्थापन 2018–19/दिनांक 19.02.2018

विज्ञप्ति (आबकारी दुकानों के आवेदन हेतु महत्वपूर्ण सूचना)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी नीति वर्ष 2018–19 में आबकारी दुकानों के ई–लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन हेतु आनलाइन आवेदन http://upexciseelottery.gov.in पर किये जा सकेगें। **पहले चरण के आवेदन करने की तिथि 20.02.2018 को 10:00 बजे से 28.02.2018 के 19:00 बजे तक है। द्वितीय चरण के आवेदन करने की तिथि 07.03.2018 को 10:00 बजे से 12.03.2018 के 19:00 बजे तक है।**

(1) आनलाइन आवेदन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का विवरण :–

1–ई–लाटरी प्रणाली से सम्बन्धित पोर्टल पर किसी भी आवेदक को सर्व प्रथम अपने आप को पंजीकृत कराना होगा। पंजीकरण के समय सर्वप्रथम उसको अपना आधार नं0 एवं उसके नीचे दिया गया कैप्चा भरना होगा। यह कार्य करते ही उसके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नं0 पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसे उसको यथा स्थान भरना आवश्यक होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जायेगा जिसमें आवेदक को पैन नम्बर सहित कतिपय सूचनाएं भरनी होगी।

2–आवेदक के सफल पंजीकरण पर उसको एक रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड उसके मोबाइल नं0/ई–मेल पर प्रेषित की जायेगी।

3–उक्त रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड के आधार पर पंजीकृत आवेदक पोर्टल में प्रवेश पा सकते है। प्रवेश करते समय आवेदक को अपना पासवर्ड बदलने के लिये कहा जायेगा। आवेदक को नया पासवर्ड जनरेट करना होगा तथा भविष्य में पंजीकरण संख्या एवं नये पासवर्ड के आधार पर ही पोर्टल में प्रवेश सम्भव होगा ।

4–पोर्टल में प्रवेश करके आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी जनपद की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर एवं मॉडल शाप्स के सम्बन्ध में दुकान का नाम, एम0जी0क्यू0, बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि तथा प्रतिभूति धनराशि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

5–किसी दुकान के लिये वह इन सूचनाओं के आधार पर आवेदन के लिये तैयारी कर सकता है। देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, एवं मॉडल शाप्स की दुकानों के लिये देय प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 की धनराशि, अर्हताओं आदि का विवरण भी उसको पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। अतः आवेदन करने से पूर्व आवेदक का पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होना आवश्यक है।

6–आवेदन करते समय आवेदक को अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (JPG अथवा JPEG फारमेट में 10KB से 100 KB तक), हैसियत प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विगत वर्ष की आयकर–विवरणी एवं शपथ–पत्र की स्कैन कापी कम्प्यूटर में/पैनड्राइव में तैयार रखनी होगी, ताकि अपलोड करते समय यह अभिलेख उसके पास उपलब्ध रहे।

7–किसी भी दुकान के लिये आवेदन चार चरणों में पूर्ण होगा। पहले चरण में आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु दुकान का चयन करेगा। यदि वह सहआवेदक के साथ आवेदन करता है, तो सहआवेदक का विवरण भी भरना होगा। इसके बाद द्वितीय चरण में अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विगत वर्ष की आयकर–विवरणी एवं शपथ–पत्र की स्कैन कापी तथा फोटो अपलोड करनी होगी। तत्पश्चात तृतीय चरण में उसे ई–पेमेंट के माध्यम से प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करनी होगी। यह कार्य करने से पूर्व उसको अपने बैंक एकाउन्ट का डिटेल भी आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित भरना होगा ताकि चयनित न होने की दशा में उसकी धरोहर धनराशि वापस हो सके। सहआवेदक होने की दशा में धरोहर धनराशि प्रथम आवेदक को ही वापस की जायेगी।

8–चतुर्थ चरण में आवेदक को भरे हुये आवेदन पत्र की प्रिन्ट लेने की सुविधा होगी तथा ई–पेमेन्ट किये जाने से पूर्व वह अपने आवेदन में संशोधन भी कर सकता है लेकिन यदि उसके द्वारा ई–पेमेंट कर दिया गया है तो कोई संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।

9–आवेदक को समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात एक पावती रसीद, जिसमें समस्त सूचनाये अंकित होगी, प्राप्त होगी जिसका वह प्रिन्ट ले सकता है।

उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त आवेदनों के परीक्षण करने पर उपयुक्त पाये गये आवेदन स्वीकार किये जायेगें। आबकारी नीति की विस्तृत जानकारी आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexcise.in तथा जनपद सुलतानपुर की वेबसाइट http://sultanpur.nic.in पर उपलब्ध है। उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं ई–लाटरी से सम्बन्धित पृच्छाओं के समाधान हेतु कक्ष संख्या–24, कलेक्ट्रेट सुलतानपुर स्थित कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी में स्थापित हेल्प का दूरभाष नम्बर 05362–227635 है। **पहले चरण में दिनॉक 05.03.2018 को 11:00 बजे से पं0 रामनरेश त्रिपाठी सभागार, सुलतानपुर में ई–लाटरी की प्रक्रिया दुकानवार प्रारम्भ की जायेगी।** सबसे पहले देशी मदिरा की दुकानों की ई–लाटरी धरोहर–धनराशि के घटते क्रम में की जायेगी। उसके पश्चात क्रमशः माडॅल शॉप, विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानों की ई–लाटरी धरोहर–धनराशि के घटते क्रम में की जायेगी। धरोहर–धनराशि समान होने की स्थिति में दुकान के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ई–लाटरी की जायेगी। **द्वितीय चरण में दिनॉक 14.03.2018 को 11:00 बजे से पं0 रामनरेश त्रिपाठी सभागार, सुलतानपुर में ई–लाटरी की प्रक्रिया दुकानवार प्रारम्भ की जायेगी।**

(अ) जनपद सुलतानपुर की वर्ष 2018–2019 हेतु देशी मदिरा दुकानों का विवरण :–

क .सं.	देशी शराब दुकान का नाम	निर्धारित एम0जी0क्यू0	क .सं.	देशी शराब दुकान का नाम	निर्धारित एम0जी0क्यू0	क .सं.	देशी शराब दुकान का नाम	निर्धारित एम0जी0क्यू0
1	कूरेभार	64800	51	बहुरावां	16200	101	गोसाईगंज(फत्तेपुर संगत)	8424
2	सेमरी	55080	52	गारापुर	15552	102	करौदी मलवा	8424
3	कादीपुर	54132	53	वल्लीपुर (हेमनापुर)	15552	103	कुण्डधाम (हाजीपट्टी)	8424
4	लम्भुआ	42336	54	देवनगर	14904	104	मोतीगंज	8424
5	मौ0मेजरगंज, वार्ड नं0 24,सुलतानपुर	38880	55	दूबेपुर	14904	105	पूरे वादी पिकौरा	8424
6	वार्ड नं0–4 दोस्तपुर	36936	56	निरालानगर	14904	106	रजवारे रामपुर	8424
7	मुडिलाडीह	36288	57	हलियापुर	14256	107	सोनावां	8208
8	वार्ड नं0–7 सिविल लाइन, सुलतानपुर	36072	58	गोसैसिहपुर	13608	108	परवरभार	8100
9	अखण्डनगर	34344	59	शम्भूगंज	13608	109	रामगढ़	7884
10	भवानीपुर	33696	60	कुडवार	13284	110	ईरूल	7776
11	धम्मौर	33048	61	बल्दीराय (वीही निदुरा)	12960	111	हाटा	7776
12	वार्ड नं0–6 दोस्तपुर	32400	62	भांईसराय	12960	112	मझना गॉव	7776
13	मौ0 गांधीनगर वार्ड नं0–16 सुलतानपुर	32184	63	देवलपुर	12960	113	मंगलनगर	7776
14	बिरसिहंपुर	30456	64	कन्धईपुर	12960	114	बाबूगंज (लम्भुआ)	7128
15	बगिया(डोमनपुर)	29808	65	संजयनगर	12900	115	बेला	7128
16	मौ0लखनऊ नाका, वार्ड नं0–24 सुलतानपुर	29160	66	जफरपुर	12528	116	बिकना	7128
17	मौ0 अमहट वार्ड नं0–15, सुलतानपुर	28404	67	बिरईता	12312	117	चन्दौर	7128
18	अलीगंज	28188	68	शिवगढ	11880	118	गड़ौरा	7128
19	मौ0पयागीपुर, वार्ड नं0–13,सुलतानपुर	27972	69	कोइरीपुर	11664	119	गजाधर का पुरवा	7128
20	अलीपुर सरावां	27864	70	लगड़ी	11448	120	गुलालपुर	7128
21	बेलवाई	27864	71	बनी	11016	121	हसनपुर	7128
22	हनुमानगंज	27216	72	बेला सैदखानपुर	11016	122	लाल का पुरवा	7128
23	बरौसा	27000	73	छीतेपट्टी	11016	123	मेवानगर	7128
24	चांदा	26568	74	पालनगर भभोट	11016	124	मेवपुर	7128
25	करौदीकलां	25920	75	वधूपुर	11016	125	राजापुर	7128
26	कामतागंज (लम्भुआ)	25272	76	नुमायें	10476	126	सातनपुर	7128
27	सरैया मुस्तफाबाद	25272	77	बरवारीपुर	10368	127	शाहपुर	7128
28	पयागीपुर–अहिमाने रोड वार्ड नं0–13, सुलतानपुर	25056	78	पारा	10368	128	तिरहुत	7128
29	कामतागंज (कादीपुर)	24624	79	कालीगंज	9936	129	बंजारी	6600
30	कटका (खानपुर)	24408	80	बड़ागॉव	9720	130	बसौढ़ी	6600
31	मौ0 खैराबाद वार्ड नं0–16,सुलतानपुर	23976	81	बांगरकलां	9720	131	भवानीगढ	6600
32	ताजुद्दीनपुर	23328	82	भीलमपुर	9720	132	चौहान का पुरवा	6600
33	डिगुरपुर बनकेगॉव	22680	83	कोथरा	9720	133	दसगरपारा	6600
34	हडौरा	22032	84	मुरलीनगर (खैचला)	9720	134	देवाढधाट	6600
35	पलियादेवापुर	22032	85	नरहरपुर	9720	135	गंगापुर भुलिया	6600
36	पीढी	22032	86	भटमई	9504	136	ज्ञानीपुर	6600
37	वार्ड नं0–1 करौदिया, सुलतानपुर	22032	87	धनजई	9396	137	हसरौनागनाथपुर	6600
38	लोहरामऊ	21708	88	शंकरगढ	9180	138	जमखुरी	6600
39	देहली बाजार	20736	89	अकारीपुर	9072	139	कनकपुर	6600
40	मौ0 गभड़िया वार्ड नं0–15 सुलतानपुर	20736	90	अमरूपुर	9072	140	किन्दीपुर	6600
41	सुदनापुर	20196	91	बांसी	9072	141	कुतुबपुर	6600
42	बढौनाडीह	20088	92	धरौली	9072	142	महमूदपुर बिझूरी	6600
43	ढेमा	20088	93	मिश्रौली	9072	143	महराजगंज	6600
44	बेलवारे	19764	94	रामपुर विरतिहा	9072	144	मुंगरे	6600
45	अतरसुमा	19440	95	सरैया बनकेपुर	9072	145	सोहगौली	6600
46	फुलौना	19440	96	दियरा	8856			
47	शिवनगर	19440	97	बरूआ श्रीरामपुर	8532			
48	वार्ड नं0–18 बढैयाबीर, सुलतानपुर	19008	98	अरवल बाजार	8424			
49	प्रतापगंज	18792	99	भरथीपुर	8424			
50	कैथीजलालपुर	18144	100	धरमगंज	8424			

नोट :– देशी शराब दुकान हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0 (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) बल्क लीटर में को 28 से गुणा करने पर जमा की जाने वाली वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस की धनराशि, 250 से गुणा कर 6 से भाग देने पर आवश्यक हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि एवं 22.2 से गुणा करने पर निर्धारित प्रतिभूति धनराशि आगणित होगी।

(ब)जनपद सुलतानपुर की वर्ष 2018–2019 हेतु माडलशाप का विवरण :–

क. सं.	माडलशाप का नाम	मदिरापान शुल्क सहित लाइसेंस फीस (रू0 में)
1	कूरेभार	1775000

(स)जनपद सुलतानपुर में वर्ष 2018–2019 हेतु विदेशी मदिरा दुकानों का विवरण :–

क्र0 सं0	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	लाइसेंस फीस (रू0 में)	क्र0 सं0	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	लाइसेंस फीस (रू0 में)	क्र0 सं0	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	लाइसेंस फीस (रू0 में)
1	वार्ड नं0 07–सिविललाइन,सुलतानपुर	2550000	23	कामतागंज	495000	45	सुदनापुर	265000
2	मौ0 रूद्रनगर, वार्ड नं0 24,सुलतानपुर	1930000	24	कुडवार	485000	46	अखण्डनगर	255000
3	मौ0मेजरगंज, वार्ड नं0 24,सुलतानपुर	1915000	25	धम्मौर	475000	47	करौदीकलां	255000
4	वार्ड नं0–17, शाहगंज,सुलतानपुर	1840000	26	हनुमानगंज	475000	48	शिवगढ	255000
5	कादीपुर	1445000	27	सेमरी	460000	49	गारवपुर	245000
6	कूरेभार	1340000	28	मौ0गोराबारिक,वार्ड नं0–15 ,सुलतानपुर	440000	50	हसनपुर	245000
7	बरौसा	905000	29	बल्दीराय (वीही निदुरा)	430000	51	बेलवाई	240000
8	महुवारिया रोड,वार्ड नं0–15, सुलतानपुर	750000	30	वल्लीपुर (हेमनापुर)	430000	52	मुंगरे	215000
9	मौ0पयागीपुर, वार्ड नं0–13,सुलतानपुर	750000	31	सरैया मुस्तफाबाद	395000	53	बिरसिहपुर	205000
10	मौ0लोहरामऊ,वार्ड नं0–13,सुलतानपुर	745000	32	सोनावां	380000	54	राजापुर	185000
11	लम्भुआ	725000	33	अलीपुर सरांवा	375000	55	कैथीजलालपुर	175000
12	सौरमऊ सुलतानपुर	725000	34	प्रतापगंज	370000	56	भाईसराय	170000
13	मुरलीनगर (खैचला)	700000	35	हॉसापुर	355000	57	धरौली	150000
14	वार्ड नं0–4 दोस्तपुर	695000	36	वार्ड नं0–8 दोस्तपुर	355000	58	नरहरपुर	150000
15	चांदा	690000	37	भटमई	345000	59	पारा	135000
16	मुडिलाडीह	680000	38	धनपतगंज	345000	60	शाहपुर (लम्भुआ)	130000
17	अलीगंज	665000	39	जयसिहपुर	345000	61	अकारीपुर	100000
18	वार्ड नं0–01,करौदिया,सुलतानपुर	645000	40	कटकाखानपुर	345000	62	बांगरकलां	100000
19	भवानीपुर	640000	41	हलियापुर	295000	63	बेलहरी	100000
20	कन्धईपुर	560000	42	ढेमा	280000	64	फुलौना	100000
21	खनुहट	555000	43	दियरा	265000	65	कोथरा	100000
22	वार्ड नं0–09,दरियापुर,सुलतानपुर	550000	44	गोसाईगंज (फत्तेपुर संगत)	265000	66	पालनगर भभोट	100000

(द)जनपद सुलतानपुर की वर्ष 2018–2019 हेतु बीयर की दुकानों का विवरण

क. सं.	बीयर दुकान का नाम	लाइसेंस फीस (रू0 में)	क. सं.	बीयर दुकान का नाम	लाइसेंस फीस (रू0 में)	क. सं.	बीयर दुकान का नाम	लाइसेंस फीस (रू0 में)
1	वार्ड नं0–7 विवेकानन्द नगर कादीपुर	825000	17	मौ0 शाहगंज वार्ड नं0 17,सुलतानपुर	300000	33	वार्ड नं0–4 दोस्तपुर	170000
2	बसौढ़ी	700000	18	वार्ड नं0 09दरियापुर,सुलतानपुर	300000	34	खनुहट	160000
3	वार्ड नं0 05लालडिग्गी,सुलतानपुर	570000	19	मौ0 लोहरामऊ, वार्ड नं013 सुलतानपुर	285000	35	सोनावां	145000
4	मौ0 सिविल लाइन,वार्ड नं0 07,सुलतानपुर	555000	20	वार्ड नं0–06 विवेकनगर,सुलतानपुर	285000	36	अखण्डनगर	135000
5	बगिया (डोमनपुर)	485000	21	गोसाईगंज (फत्तेपुर संगत)	280000	37	हॉसापुर	130000
6	करौदीकंला	460000	22	कटकाखानपुर	265000	38	अलीगंज	75000
7	मौ0 पयागीपुर, वार्ड नं0 13 सुलतानपुर	450000	23	लम्भुआ	255000	39	बांगरकलां	75000
8	मौ0 रूद्रनगर, वार्ड नं0 24,सुलतानपुर	390000	24	वार्ड नं0–6 अनिरूद्धनगर कादीपुर	240000	40	बिरसिहपुर	75000
9	वार्ड नं0–25 खैराबाद, सुलतानपुर	390000	25	कूरेभार	220000	41	मुडिलाडीह	75000
10	हलियापुर	380000	26	धम्मौर	205000	42	सरैया मुस्तफाबाद	75000
11	वार्ड नं0–15 घासीगंज,सुलतानपुर	375000	27	हनुमानगंज	190000	43	अकारीपुर	65000
12	अलीपुर सरांवा	370000	28	कुडवार	190000	44	बल्दीराय (वीही निदुरा)	65000
13	बेलवारे	365000	29	भवानीपुर	185000	45	भाईसराय	65000
14	मौ0 गॉधी नगर वार्ड नं0 17 सुलतानपुर	340000	30	चांदा	185000	46	कामतागजं	65000
15	मौ0 मेजरगंज,वार्ड नं0 24 सुलतानपुर	305000	31	सेमरी	185000	47	पारा	65000
16	मौ0 पारकींसगंज, वार्ड नं0 7, सुलतानपुर	300000	32	बरौसा	175000	48	सुदनापुर	65000

नोट :– माडलशाप, विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस की धनराशि के बराबर आवश्यक हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि एवं 10 से भाग देने पर निर्धारित प्रतिभूति धनराशि आगणित होगी।

(2) भांग दुकानों का व्यवस्थापन :– जनपद सुलतानपुर की भांग की फुटकर बिक्री की समस्त 65 (पैसठ) दुकानों का वर्ष 2018–19 के लिए टेण्डर सह नीलाम प्रणाली द्वारा उत्तर प्रदेश लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलाम) नियमावली–1991 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी, सुलतानपुर की अध्यक्षता में **दिनांक 07.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार, सुलतानपुर में** किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार औपचारिकतायें पूर्ण कर नीलामी में भाग ले सकते हैं। उक्त नियमावली के नियम–11–क के अधीन जारी रसीद नीलामी प्रारम्भ होने के 2 घण्टे पूर्व तक जिला आबकारी अधिकारी, सुलतानपुर के कार्यालय से या चौबीस घण्टे पूर्व तक उप आबकारी आयुक्त, फैजाबाद के कार्यालय से पाँच हजार रूपये नकद या सम्बन्धित अधिकारी के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रुप में जमा कर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति उक्त नियमावली के नियम–15 के अनुसार निविदा भी प्रस्तुत कर सकते है। सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सुलतानपुर अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षको से किसी भी कार्य दिवस में निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

(सुधीर कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
सुलतानपुर।

(संगीता सिंह)
लाइसेंस प्राधिकारी / जिलाधिकारी
सुलतानपुर।

ई–लाटरी हेतु अपनायी जाने वाली प्रकिया का विवरण

1– आवेदन की पावती रसीद धारकों को ही लाटरी स्थल/पण्डाल में प्रवेश दिया जाये।

2– लाटरी वाले दिन यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मंच से की जा रही कार्यवाही उपस्थित आवेदको को टी0वी0 स्क्रीन अथवा अन्य डिस्प्ले के माध्यमों से दिखायी/सुनाई दे।

3–जिला आबकारी अधिकारी ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में से आवंटन हेतु अर्ह आवेदनों एवं अनर्ह आवेदनों (अनर्हता के कारण सहित) की सूची ई–लाटरी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखेंगे। उक्त समिति आवंटन हेतु अर्ह व अनर्ह आवेदनों को चिन्हित करेगी। यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए एक से अधिक अभ्यर्थी उपयुक्त पाये जाते हैं, तो समिति ऐसी दुकान के लिए अनुज्ञापी का चयन ई–लाटरी से करेगी।

4– लाटरी की प्रकिया दुकानवार प्रारम्भ की जायेगी । सबसे पहले देशी मदिरा की दुकानों की लाटरी धरोहर–धनराशि के घटते कम में की जायेगी। उसके पश्चात कमशः माडॅल शॉप, विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानों की लाटरी धरोहर–धनराशि के घटते कम में की जायेगी। धरोहर–धनराशि समान होने की स्थिति में दुकान के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के कम में लाटरी की जायेगी।

5– प्रत्येक दुकान के लिये लाटरी निकालने से पूर्व उस दुकान पर कितने आवेदन पडे है, आवेदको के नाम सहित डिस्प्ले किये जायेंगे। अनर्ह आवेदनों की सूची भी अनर्हता के कारण सहित प्रदर्शित की जाएगी। वास्तविक लाटरी प्रारम्भ करने से पहले कम से कम तीन बार मॉक लाटरी की प्रकिया करके आवेदको को दिखायी जाये। इसके पश्चात अन्तिम रूप से लाटरी प्रारम्भ करने से पूर्व यह उद्घोषणा की जायेगी कि अब फाइनल लाटरी की प्रकिया प्रारम्भ की जा रही है। इस निमित्त लिखित उदघोषणा पर, उपस्थित आवेदको में से कम से कम तीन आवेदको से हस्ताक्षर कराये जायेगें। इसके पश्चात वास्तविक लाटरी की प्रकिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। लाटरी में जिस दुकान का आवंटन किया जायेगा उस दुकान हेतु प्राप्त समस्त पूर्ण तथा वैध आवेदन पत्रों में से एक का चयन रैंडम आधार पर किया जायेगा। रैंडम नम्बर की सीडिंग हेतु 03 अंकों का सीड नम्बर आवंटन स्थल पर उपस्थित किन्हीं 03 आवेदकों से एक–एक अंक पूछकर बनाया जायेगा। सफल आवेदक का नाम लाटरी के निकलते ही घोषित किया जायेगा । सफल आवेदन चयन होते ही आवंटन की सूचना सफल आवेदक के पंजीकृत मोबाइल/ ईमेल एवं लागिन पर स्वतः प्रेषित हो जायेगी।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सुलतानपुर

संख्या :1648/जि0आ0अधि0/आबकारी दुकान/व्यवस्थापन/2018–19/सुलतानपुर/दिनांक 08.02.2018

आबकारी दुकानों के आवेदन हेतु महत्वपूर्ण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी नीति वर्ष 2018–19 में दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। ई–लाटरी हेतु आवेदन करने की तिथि 20.02.2018 से 28.02.2018 के 19:00 बजे तक है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन www. upexciseelottery .gov.in पर किये जा सकेगें। दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस भी आनलाइन ही जमा की जायेगी। साथ ही प्रोसेसिंग फीस पर देय वैट/जी0एस0टी0 भी नियमानुसार आनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। जिन आवेदकों द्वारा आनलाइन फीस जमा नही की जायेगी तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, पैन कार्ड, गत वर्ष का आयकर रिटर्न व हैसियत प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न नही की जायेगी, उनके आवेदन स्वीकार नही किये जायेगें। हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपनी अचल एवं चल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण, उनके स्वामित्व का प्रमाण एवं उन पर ऋणभार, यदि कोई हो तो उसका पूरा विवरण एवं अपने निवास स्थान का पूरा पता, मकान नं0, मोहल्ला, ग्राम, पोस्ट, थाना, तहसील एवं जनपद अंकित करना आवश्यक है। पुरूष अपनी अचल सम्पत्ति में आभूषणों का उल्लेख न करें क्योकि वह स्त्री धन होता है। सम्पत्ति में चल सम्पत्ति का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए। बैंक या डाकघर की सावधि जमा रसीद या राष्ट्रीय बचत इत्यादि मूल्यवान जमा रसीदों अथवा अन्य चल सम्पत्तियों को जिलाधिकारी के पक्ष में प्रतिश्रूत करने की दशा में उसकी पूरी राशि को शोधन क्षमता के मूल्यांकन में सम्मिलित किया जा सकता है। अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जायेगा। 1– कृषि भूमि व मकान– उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली–1997 के नियम–4 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार। 2–मकान– निर्धारित वार्षिक भवन कर या वास्तविक वार्षिक किराया या अनुमानित वार्षिक किराया का 25 गुना और भवन से सम्बद्ध भूमि का मूल्य प्रचलित बाजार दर पर या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य पर किया जाय। अतः समय कम होने एवं हैसियत प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के दृष्टिगत आबकारी दुकानों का आवंटन प्राप्त करने के लिए ई–लाटरी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके समय से हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। आबकारी नीति की विस्तृत जानकारी आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexcise.in तथा जनपद सुलतानपुर की वेबसाइट www.sultanpur.nic.in पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी के लिए कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

जिला आबकारी अधिकारी,
सुलतानपुर।

....